कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

क्रमांक– 83 / सी.जे.एम. / 2024 सागर, दिनांक– **03.07.2024**

रिमाण्ड ड्यूटी आदेश

मैं, के.पी.सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर म0प्र0, **माह जुलाई 2024** के अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय सागर एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की निम्नानुसार **रिमाण्ड ड्यूटी** नियत करता हूँ। अवकाश के दिनों में कॉलम क्रमांक–2 में वर्णित मजिस्ट्रेट **दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे** तक नियत स्थानों में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

जिला मुख्यालय–सागर

क्र.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक (माह जुलाई–2024)	रिमार्क
1.	श्री राहुल सोनी	7	
2	श्री विनय सिंह राजपूत	14	
3.	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	17	
4.	श्री विजिताश्व पुष्कर	21	
5.	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	28	
	तहसील मुख्यालय– बीना		
1.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी	21, 28	
2.	श्री शरद जोशी	7, 14, 17	
	तहसील मुख्यालय– खुरई		
1.	श्रीमती रूचिता सिंह गुर्जर	17	
2.	श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया	7	
3.	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	28	
4	सुश्री श्रेया गक्खर	14, 21	
	तहसील मुख्यालय– बण्डा		
1.	श्री आशीष कुमार माथौरिया	7	
2.	श्रीमती प्रिया गुप्ता	14, 21	
3.	सुश्री संध्या मुदगल	17, 28	
	तहसील मुख्यालय–रहली		
1.	श्री सतीश शर्मा	14, 28	
2.	श्री नितिन वर्मा	07, 17, 21,	
	तहसील मुख्यालय–गढ़ाकोटा		
1.	सुश्री सोनल सिंह जादौन	7, 21, 28	
2.	श्री अम्बर श्रीवास्तव	14, 17	

तहसील मुख्यालय–देवरी

1.	सुश्री निकिता चौहान	7
2.	श्री मनोरम तिवारी	14, 21
3.	श्री दीपू शाक्य	17, 28

तहसील मुख्यालय–केसली

1.	श्री सत्यम देवलिया	संपूर्ण अवकाश दिवसों में।

1. **यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।**

2. **रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमांड के समय धारा 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई. आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।**

3. रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश आवेदन में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु सहमति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट्स की सहमति बावत आवेदन में लेख करेंगे तथा सहमत मजिस्ट्रेट की अनापत्ति भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन उस मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी उक्त विशेष अवकाश घोषित होने के ठीक पूर्व के अवकाश की थी।

4. यदि किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं होते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक के सामान्य आदेश के नोट क्रमांक–1 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड कार्य भी सम्पादित किया जावे।

5. समस्त मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जित अवकाश/मेडीकल अवकाश/सी.सी.एल. /अन्य लम्बी अवधि के अवकाश हेतु आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया जाता है, और उक्त अवकाश स्वीकृति की सूचना के पूर्व यदि रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में उस मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है और रिमाण्ड ड्यूटी लगने के बाद उक्त मजिस्ट्रेट का अवकाश स्वीकृत हो जाता है तो उस अवकाश हेतु आवेदन पेश करने वाले मजिस्ट्रेट

का कर्तव्य होगा कि वह इस कार्यालय को अवकाश स्वीकृति की सूचना तत्काल प्रेषित करें, जिससे कि उनके स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु आदेशित किया जा सके।

6. **रिमाण्ड मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के साथ–साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी में भी सहयोग करेंगे।**

7. समस्त मजिस्ट्रेट को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे बिना अनुमति के किसी भी स्थिति में मुख्यालय न छोड़ें।

S/d

(के.पी.सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर।
2. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर
3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट सागर।
4. समस्त मजिस्ट्रेट जिला सागर
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सागर / खुरई / बीना / बण्डा / गढ़ाकोटा / रहली / देवरी / केसली
6. जूनियर एनॉलिस्ट, सर्वर रूम, सागर को समस्त मजिस्ट्रेट को मेल करने हेतु।

3/07/24
(के.पी.सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर